फाइल सं. ए 12026/1/2017-ई-III/E/12319/2018

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

***

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक: 18 जनवरी, 2018

सेवा में

1. संलग्न सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. संलग्न सूची के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव।
3. संलग्न सूची के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठन।

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर पे- बैंड-4, 37400-67000/-रूपये + ग्रेड वेतन 10000/- रूपये (छठे वेतन आयोग का वेतनमान) में महाप्रबंधक का 01 (एक) पद भरने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर पे- बैंड-4, 37400-67000/-रूपये + ग्रेड वेतन 10000/- रूपये (छठे वेतन आयोग का वेतनमान) में महाप्रबंधक का 01 (एक) पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बोर्ड के कार्यों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने मातहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करेगा और उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों को समन्वित करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग और ड्यूटियों का निर्वाह भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएंगी और जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। महाप्रबंधक, बजट और आबंटन अथवा अनुदानों का पुनः संबंधी मामलों में, ब्रहमपुत्र बोर्ड नियमावली, विनियोग 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और ड्यूटियों का भी निर्वाह करेगा।

3. पात्रता मानदंड

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी, जो:

(क) (I) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हो; अथवा
(II) ग्रेड में वेतन बैंड 4-में क्रमशः रूपए अथवा 8700 रूपए के ग्रेड वेतन में अपर मुख्य 8900 इंजीनियर अथवा अधीक्षण इंजीनियर के पद पर दो वर्ष अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और
-ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो)
)i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में डिग्री; और
)ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषणआयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और , अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव;
(iii) अथवा मास्टर प्लानबाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं , ःअथवा सामान्य परशासन में वर्ष का अनुभव अथवा 15
)iv) बाढ़ प्रबंधननदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार , करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा
(ख))i) वेतन बैंड 8900 ,4-रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे वर्ष का अनुभव हो 15; अथवा
)ii वेतन बैंड-4, 8700 (ग्रेड वेतन में पद धारित वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय 3 सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा समेत) सहित, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु- प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालीन संविदा सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी ।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश ज़ारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे ।

8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा ।

9 . <u>अनुलग्नक-I से V</u> मे आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख (23-29 दिसम्बर, 2017) से <u>60 दिन</u> के अंदर श्रीमती शालिनी जुनेजा, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, छठा तल, कमरा सं. **625**, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी । सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए । विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे के बिना किए गए आवेदन रद्द किए जा सकते हैं ।

10. मात्र उस अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) <u>अनुलग्नक-2</u> में दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रति) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) <u>अनुलग्नक-3</u> में दिए दिए प्रपत्र में सतर्कता स्वीकृति (iv) <u>अनुलग्नक-4</u> के प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शासति का ब्यौरा और (v) <u>अनुलग्नक-5</u> के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो ।

11. विज्ञापन का ब्यौरा और आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइट- *htpp://wrmin.nic.in* से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।

भवदीय,

शालिनी जुनेजा

(शालिनी जुनेजा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: **23718165**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. उपाध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड। अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को अपने संगठन की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।